'कर्मचारी संघ जिन्दाबाद' ।। संघे शक्ति कलयुगे ।। 'महासंघ जिन्दाबाद'

स्थापित-1982

बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ

पटना- 800005 (बिहार)

(अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, नई दिल्ली)

पंजीयन-97/82

प्रदेश अध्यक्ष
शंकर यादव
एल.एन.एम.यू., दरभंगा।
मो0- 9430996453 / 8271191632

प्रदेश कार्यालय-अखिलेश नगर, पश्चिमी रोड नं0-2,
थाना-बाइपास, पोस्ट-झाऊगंज, पटना-800006, मो-7543042345
Email-info@bsuef.org
website: www.bsuef.org

प्रदेश महासचिव
राघवेन्द्र कुमार
बी0आर0ए0बी0यू0, मुजफ्फरपुर
मो0-9973358168

उपाध्यक्ष

डॉ0 दीलिप कुमार गुप्ता
पटना विश्वविद्यालय,पटना
मो0- +91-7631696569

डॉ0 सरोज कुमार सिंह
जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा
मो- +91- 9939745814

कोषाध्यक्ष

जनाब मंजर इमाम
वी० कुं० सिंह विश्वविद्यालय, आरा
मो०- +91- 9931062586

संगठन मंत्री

डॉ0 दिनेश कुमार दिनकर
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
मो0- +91-9308596371

सुनील कुमार सिंह
कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा
मो0- +91-9472698751/7979897929

रंजन कुमार
बी.आर.ए.बी.यू, मुजफ्फरपुर
मो.- +91- 9472003662

डॉ0 राजेश्वर राय
बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
मो०- +91-9431413716

डॉ0 रविन्द्र कुमार मिश्र
कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा । मो0- +91- 8797275807

सुरेश कुमार चौधरी
तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर
मो०- +91-9973542172

प्रवक्ता

गौरव
बी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर
मो०- +91-9123469271

मो0 नसीम अख्तर
सह प्रवक्ता (पटना क्षेत्र)
मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना, मो०- +91-7250267712

संयुक्त कोषाध्यक्ष

सैय्यद शाहिद नक़वी
मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना, मो०- +91-7488449803

पत्रांक MSP/205/Patna (1) दिनांक 20/12/2021

सेवा में,

कुलपति
जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

विषयः—जयप्रकाश विश्वविद्यालय कर्मचारी (स्थायी) संघ के अध्यक्ष एवं अन्य पदधारकों का विश्वविद्यालय से महाविद्यालय में स्थानान्तरण एवं निलम्बन करने संबंधीत आदेश को वापस करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ आपके द्वारा निलम्बन एवं स्थानान्तरण के संबंध में लिए गए एकतरफा निर्णय का विरोध करता है। महोदय, आपको जयप्रकाश विश्विद्यालय कर्मचारी (स्थायी) संघ के अध्यक्ष ने अपने पत्रांक 01/2021 दिनांक द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारियों के बीच से निर्वाचन द्वारा अधिषद् सदस्य का चुनाव सम्पन्न कराने का अनुरोध किए थे। विश्वविद्यालय कार्यालय में शौचालय की निरंतर सफाई एवं पेय जल के लिए सुलभ स्थान निर्धारित करने का अनुरोध दिनांक 14/09/2021 को किए थे। विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के पत्रांक 03/2021 दिनांक 21/09/2021 द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षेकत्तर कर्मचारियों यथा डॉ० अनिल शरण, मुकेश तिवारी एवं डॉ० सरोज कुमार का विश्वविद्यालय कर्मचारी सम्वर्ग (इकाई – 1) से अन्य सम्वर्ग महाविद्यालय सम्वर्ग इकाई – 2) में करने को विधि सम्मत नहीं मानते हुए आपको पुनर्विचार के लिए अनुरोध पत्र समर्पित किये थे। संघ के पत्रांक 05/2021 दिनांक 23/04/2021 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नवनियुक्त कुल 07 कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण (07वां पे के अनुसार) करने का आग्रह उनके द्वारा किया गया। कर्मचारी संघ के पत्रांक 06/2021 दिनांक 05/01/2021 द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के विरुद्ध लगातार किए जा रहे एकतरफा दण्डात्मक कारवाई (स्थानान्तरण एवं निलम्बन आदि) पर शिष्टमंडल से बात करने का भी अनुरोध किये थे। संघ के पत्रांक 07/2021 दिनांक 31/10/2021 द्वारा कतिपय शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन निर्धारण को एकतरफा कारवाई करते हुए स्थगित किए जाने का विरोध पत्र भी उनके द्वारा समर्पित किया गया था। संघ के पत्रांक 08/2021 दिनांक 17/12/2021 द्वारा चतुर्थ से तृतीय वर्ग के पद पर प्रोन्नति प्राप्त एवं

20/12/2021

Scanned with CamScanner

लगभग 10 से 12 वर्षों से उक्त पद पर सेतोषप्रद सेवा दे रहे कर्मियों की प्रोन्नति के साथ छेड़–छाड़ करने की मनसा का विरोध स्थानीय उक्त अध्यक्ष ने किया क्योंकि विषयगत मामले में सरकार को विश्वविद्यालय के पत्रांक 3756 (आर) दिनांक 05/09/2020 द्वारा समुचित जबाब भेजा जा चुका है तथा पुनः कोई पृच्छा की हीं नहीं फिर भी इसे किस परिस्थिति में पुनः हवा दी गई ? यह विचारणीय विषय है।

साथ हीं एक सुचना और प्रकाश में आई है कि विश्वविद्यालय कर्मचारी (भण्डारपाल) डॉ० धनन्जय कुमार सिंह को अचानक भण्डार शाखा से स्थानान्तरित कर दिया गया तथा उनके द्वारा विश्वविद्यालय पदाधिकारी के आदेश से की गई खरीददारी एवं विभिन्न पदाधिकारियों को सामान की आपूर्ति उनसे कराई गई थी। उन्होने लगभग 20 लाख का सामान फर्नीचर आदि बाजार से उधार लिए थे। उन्होने मात्र यह अनुरोध किया कि इन सामग्रियों का भुगतान कर मुझे बकाया नहीं प्रमाण पत्र (No Dues) दे दिया जाय ताकि में भण्डार का प्रभार सौंप कर विरमित हो सकूँ किन्तु, ऐसा नहीं किया गया तथा उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। इससे जयप्रकाश विश्वविद्यालय की शाख मार्केट में धुमिल हुई क्योंकि भुगतान नहीं हो पाया। सुना तो यह भी जा रहा है कि डॉ० धनन्जय कुमार सिंह 20 लाख का भुगतान करने तथा निलम्बन वापसी के लिए राशि की मांग की जा रहीं है।

इन सारे कृत्यों एवं तथ्यों को लेकर जयप्रकाश विश्वविद्यालय कर्मचारी (स्थायी) संघ द्वारा अध्यक्ष के हस्ताक्षर से एक प्रतिकार पत्र सौंपा गया जो कहीं से भी अनुशासनहीनता की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, पटना यह मांग करता है कि अविलम्ब निम्नलिखित मांगो की पूर्ति किया जाए अन्यथा बाध्य होकर जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपड़ा के विश्वविद्यालय प्रशासन एवं आपके खिलाफ विश्वविद्यालय स्तर सहित राज्यव्यापि आंदोलन आहूत करने पर मजबूर होना होगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगीः–

1. जयप्रकाश विश्वविद्यालय कर्मचारी (स्थायी) संघ के अध्यक्ष श्री राय रणविजय देव के विरुद्ध एकतरफा पारित निलम्बन आदेश को पत्र निर्गत की तिथि से वापस लिया जाए।
2. डॉ0 धनन्जय कुमार सिंह तृतीय वर्ग कर्मी(भण्डार पाल) का निलम्बन आदेश पत्र निर्गत की तिथि से वापस लिया जाए तथा उनपर स्वीकृत अग्रिम तथा पदाधिकारीयों के आदेश से की गई खरीददारी से संबंधित बकाया का भुगतान सुनिश्चित किया जाए एवं अग्रिम का सामायोजन कर बकाया नहीं प्रमाण (No Dues) पत्र निर्गत की जाए।
3. डॉ अनिल शरण, मुकेश तिवारी एवं महासंघ के वरीय उपाध्यक्ष डॉ सरोज कुमार सिंह, महासचिव जयप्रकाश विश्वविद्यालय कर्मचारी स्थायी संघ को निर्धारित परिनियम के विरुद्ध किय गये स्थानान्तरण को तत्काल वापस

20/12/2021

Scanned with CamScanner

लिया जाए एवं विश्वविद्यालय इकाई में मूल पद पर पदास्थापित किया जाए।

4. चतुर्थ श्रेणी से तृतीय वर्ग में पदोन्नति प्राप्त कर्मियों की प्रोन्नति को संरक्षित किया जाए क्योंकि इनकी प्रोन्नति नियमसम्मत है।
5. विश्वविद्यालय कर्मीयों को प्रत्येक माह में पहली तारीख को वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा माह सितम्बर 2021 से आज तक के बकाये वेतन का भुगतान तत्काल सुनिश्चित किया जाए।
6. अनुकम्पा के आधार पर नवनियुक्त कुल 7 कर्मीयों का सप्तम वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण अविलम्ब सुनिश्चित किया जाए एवं भुगतान किया जाए।
7. विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों का विश्वविद्यालय के ज्ञापांक 519/आर0 दिनांक 25/10/2021 द्वारा एकतरफा स्थगित वेतन निर्धारण अधिसूचना को पुनः स्थापित किया जाए।
8. विश्वविद्यालय कार्यालय में शौचालय के निरंतर सफाई एवं पेय जल के लिए सुलभ स्थान निर्धारित किया जाए एवं पेय जल का उत्तम प्रबंध अविलम्ब किया जाए।
9. विश्वविद्यालय कर्मीयों के सभी बकाये राशि का भुगतान अविलम्ब किया जाए एवं आवास, वर्दी, छाता, कम्बल देने का प्रबंध किया जाए एवं वर्दी धुलाई हेतु राशि प्रतिमाह उपलब्ध कराई जाए।

जय प्रकाश विश्वविद्यालय कर्मचार(स्थायी) संघ के पत्रांक 09/2021 दिनांक 18/12/2021 विषयांक "अनशन की सूचना" द्वारा घोषित दिनांक 05/01/2022 को अनशन कार्यक्रम जो अध्यक्ष श्री राय रणविजय देव द्वारा आहूत की गई है को महासंघ द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है।

अतः आग्रह है कि उपर्युक्त मांगो पर अविलम्ब साकारात्मक विचार करते हुए पूर्ति करने का कृपा करें तथा गतिरोध को समाप्त करने का कष्ट किया जाए नही तो बाध्य होकर आंदोलन का रुख तय करने को महासंघ मजबूर होगा।

सादर!

विश्वासभाजन

20/12/2021

प्रदेश महासचिव

प्रतिलिपिः— कुलसचिव जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा/अध्यक्ष एवं महासचिव जयप्रकाश विश्वविद्यालय कर्मचारी (स्थायी) संघ को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेतर कारवाई हेतु अग्रसारित।

सादर!

20/12/2021

प्रदेश महासचिव

प्रतिलिपिः— माननीय प्रधानसचिव राज्यपाल सचिवालय राजभवन पटना/माननीय प्रधानसचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना एवं माननीय निर्देषक उच्च शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

सादर!

20/12/2021

प्रदेश महासचिव

Scanned with CamScanner